सप्तदश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-18.03.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, स०वि०स० श्री भीम कुमार सिंह, स०वि०स० श्री समीर कुमार महासेठ, स०वि०स० श्री रामप्रवेश राय, स०वि०स० श्री जनक सिंह, स०वि०स० श्री अख्तरुल ईमान, स०वि०स०	"राज्य में वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग के लिये 400 रुपये सहायता राशि दी जाती है परंतु यह अत्यल्प है । वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग अपने परिवार में परित्यक्त हो जाते हैं और आय का कोई स्रोत नहीं रहने के कारण दोयम दर्जे के नागरिक हो जाते हैं । दिव्यांगों के लिये दिल्ली में 2500 रुपये, हरियाणा में 3000 रुपये, गोवा में 3000 रुपये सहायता राशि दी जा रही है । इसी तरह से अन्य राज्यों में भी तीनों श्रेणी के असहायों की सहायता करने में सरकारें उदार हैं । बिहार में मात्र 400 रुपये ही दिये जा रहे हैं । अत: सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत देय वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं दिव्यांग सहायता राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर हरियाणा के अनुरूप 3000 रुपये किये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	समाज कल्याण

2.	श्री अवध विहारी चौधरी, स०वि०स० श्री ललित कुमार यादव, स०वि०स० श्री आलोक कुमार मेहता, स०वि०स०	''सरकार के द्वारा राज्य के सभी शवदाह गृह एवं मुक्तिधाम बनाने एवं उसे मुख्य मार्ग से जोड़ते हुए अन्य सभी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था, लेकिन यह सुविधा सभी शवदाह गृह एवं मुक्तिधाम में नहीं होने से आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे सिवान शहर के कंधवारा वार्ड नं०-4 में दाहा नदी के किनारे पूर्वी भाग में कोई मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है । अत: राज्य के सभी मुक्तिधाम एवं शवदाह गृह सहित सिवान के दाहा नदी मुक्तिधाम सह शवदाह गृह में सभी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराते हुए कंधवार घाट को मीठा मिल मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	नगर विकास एवं आवास

राज कुमार सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-18/2021- 1315 / वि०स०, पटना, दिनांक- 17 मार्च, 2021 ई० ।

प्रति:-बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / समाज कल्याण विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

17/3/21
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-18/2021- 1315 / वि०स०, पटना, दिनांक- 17 मार्च, 2021 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

17/3/21
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।
17/3/21